संख्या-132/2024/ I/744502 /2024/71-1001(099)/118/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 18 सितम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने तथा 33 के0वी0 पावर लाइन की स्थापना हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/128, दिनांक 25.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने तथा 33 के0वी0 पावर लाइन की स्थापना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में 400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-63/2022/I/158291/2022-71-1001(099)/118/2021, दिनॉक 22.04.2022 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने तथा 33 के0वी0 पावर लाइन की स्थापना कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1173.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा शासनादेश संख्या-67/2022/I/161944/2022-71-1001(099)/118/2021, दिनॉक 04.05.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 293.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। परियोजना की शेष धनराशि रू0 880.19 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में स्वतंत्र विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र बनाये जाने तथा 33 के0वी0 पावर लाइन की स्थापना** हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूँजीलेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इलेक्ट्रिक सेफ्टी हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्पलीशन, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-63/2022/I/158291/2022-71-1001(099)/118/2021, दिनॉक 22.04.2022 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।

4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।

6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

7- अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, नवाबगंज खण्ड केस्को, कानपुर।

8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।